[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

(बोर्ड सीमाशुल्क एवं कर अप्रत्यक्ष केन्द्रीय)

अधिसूचना संख्या 88/2018- सीमाशुल्क (गै.टै.)

नयी दिल्ली, दिनांक 30 अक्टूबर , 2018

सा.का.नि. (अ).---- सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 30, 30क, 41, 41क, 53, 54, 56, धारा 98 की उपधारा (3) और धारा 158 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतदद्वारा, सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, यथा: -

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारम्भ.-(1) इन विनियमों को सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट (सेकंड अमेंडमेंट) रेगुलेशन्स, 2018 कहा जाएगा।

   (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. सी कार्गो मेनिफेस्ट एंड ट्रांशिपमेंट रेगुलेशन्स, 2018 में, विनियम 1 में, उप-विनियम (2) में, शब्द, अंक, और अक्षर "1 नवम्बर, 2018" के स्थान पर शब्द, अंक, और अक्षर "1 मार्च, 2019" को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[फा. स. 450/58/2015- सीमाशुल्क IV]

30.10.18

(बी. कौथोजम)

अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पणी: इस प्रधान विनियमावली को सा.का.नि. 448 (अ), दिनांक 11 मई, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड (3), उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमे अधिसूचना संख्या 65/2018-सीमाशुल्क (गै. टै.), दिनांक 30 जुलाई, 2018, सा.का. नि. 716 (अ), दिनांक 30 जुलाई, 2018 के तहत प्रकाशित, के द्वारा संसोधन किया गया था।